

15-1-25



पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी व वादी उपस्थित
नहीं आये। वकीलवादी व वादी को आवाजिलगाप
गफि। वार वार आवाजिलगाप के बाबजूद भी उपस्थित
नहीं आये। अतः पत्रावली इसी स्तर पर अद्यतन पर
अद्यतन पालना से रकारिज सि जा रही है। पत्रावली
फैसला सुनार होकर वादिल काकर हो।

उपखण्डाधिकारी
श्री विजयनगर

